PROVISIONAL CERTIFICATE
FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

Provisional Reg. No.: DRA/CEA/PVT/1436/APR/2023

Date of issue: 16/5/2023

Valid up to – 06-04-2023 T0 05-04-2024

1 - Name of the C.E.	-	Marc Health Care
2 - Address of the C.E.	-	56 Neshvilla Road, Opp- Mohan Mandir Dehradun
3 – Owner of the C.E.	-	Smt. Meenu
4 - Name of person in-Charge	-	Dr. Shweta Gupta
5 - System of Medicine	-	Allopathic
6 - Type of Establishment	-	Nursing Home (50 Bed)

Is hereby provisionally registered under the provisions of Clinical Establishments (Registration & Regulations) Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the condition as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration & Regulations) Act 2010 and the Rules made under.

Chief Medical Officer
District Registration Authority
Dehradun

Chief Medical Officer
District Registration Authority
Dehradun

Place: DEHRADUN
District Registration Authority
CMO Dehradun, 105 Chandar Nagar Dehradun.
Ph. 0135-2724506

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UK78931933765462U**
Certificate Issued Date	:	11-Apr-2022 06:17 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1307204/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK130720462617231231732U
Purchased by	:	MEENU C O MARC HEALTHCARE HOSPITAL DEHRADUN
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MEENU C O MARC HEALTHCARE HOSPITAL DEHRADUN
Second Party	:	S N NAUTIYAL C O SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE DEHRA
Stamp Duty Paid By	:	MEENU C O MARC HEALTHCARE HOSPITAL DEHRADUN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY ... OF UTTARAKHAND

स्टाम्प विक्रेता
आरती गुप्ता
कचहरी रोड, देहरादून

Please write or type below this line

स्मृति पत्र (एम0ओ0यू0)

यह स्मृति पत्र आज दिनांक 12/04/2022 को स्थान देहरादून में श्रीमती मीनू सी0ई0ओ0, मार्क हैल्थ केयर हॉस्पिटल, 56, नेशविल्ला रोड़, देहरादून (आधार नं0–294654086062) द्वारा

.............................प्रथम पक्ष

एवं

श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, कार्यालय स्थित ग्राम–मझौन, पो0ऑ–पौंधा, वाया–प्रेमनगर, देहरादून द्वारा अध्यक्ष श्री श्रीनिवास नौटियाल पुत्र स्व0 श्री बी0एन0 नौटियाल, निवासी– 4/9, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून।

.............................द्वितीय पक्ष

Meenu

... this Stamp ... should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App ... in the details ... and as available on the website / Mobile App renders it ...

सदैव यह प्राविधान रहेगा कि जहाँ कहीं भी इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "प्रथम पक्ष" एवं "द्वितीय पक्ष" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ–वहाँ प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, विधिविहित प्रतिनिधि शामिल व पाबन्द होंगे।

विदित हो कि प्रथम पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो देहरादून में स्थित है व मार्क हैल्थ केयर हॉस्पिटल, 56, नेशविल्ला रोड़, देहरादून के नाम से विख्यात है। चिकित्सालय का निर्माण प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल पर है जिसके निर्माण का क्षेत्रफल लगभग 669.12 वर्ग मीटर तक विस्तृत है, जिसको संलग्न मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक सेवायें संचालित हो रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। प्रथम पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व नर्सिंग कौंसिल ऑफ इण्डिया के अनुसार प्रशिक्षण कार्य करने के नोर्म्स को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 30 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है एवं 30 से 50 शैय्याओं (बैड) हेतु सी0एम0ओ0 देहरादून को आवेदन किया गया है। सी0एम0ओ0 देहरादून से अनुमति मिलने के पश्चात उक्त 50 शैय्याएँ (बैड) भी हमारे संस्थान को आवंटित किया जायेगा। वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।

विदित हो कि द्वितीय पक्ष एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें नर्सिंग पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है किन्तु चिकित्सालय निर्माण के अभाव में नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, बी0एस0सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक), जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग, अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व पैरामेडिकल का संचालन करने में असफल रहा है। इसलिये द्वितीय पक्ष को बी0एस0सी0 नर्सिंग, बी0एस0सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक), जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग, अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व पैरामेडिकल के छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक/आभ्यासिक प्रशिक्षण संचालन हेतु द्वितीय पक्ष को 50 शैय्याएँ (बैड) के चिकित्सालय की आवश्यकता है। इसलिये द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के चिकित्सालय में 30 शैय्याएँ (बैड) प्रशिक्षण हेतु 07 वर्षों के लिये प्रस्ताव किया है। यह 30 शैय्याएँ (बैड) द्वितीय पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, पौंधा, देहरादून) के लिये आवंटन किया गया है एवं प्रथम पक्ष द्वारा 50 शैय्याओं (बैड) हेतु सी0एम0ओ0 देहरादून को आवेदन किया गया है। सी0एम0ओ0 देहरादून से अनुमति मिलने के पश्चात उक्त 50 शैय्याएँ (बैड) भी हमारे संस्थान को आवंटित किया जायेगा और यदि भविष्य में प्रथम पक्ष शैय्याएँ (बैड) क्षमता बढ़ाते

हैं तो 07 वर्ष पूर्व में श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी, पौंधा, देहरादून के अलावा किसी अन्य संस्थान को यह शैय्याएँ आवंटन नहीं किया जायेगा।

<u>अतः यह स्मृति पत्र निम्न दर्शाता हैः—</u>

1. यह कि प्रथम पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो देहरादून में स्थित है व मार्क हैल्थ केयर हॉस्पिटल, 56, नेशविल्ला रोड़, देहरादून के नाम से विख्यात है, जो एक चिकित्सालय है, जिसके भूतल मे निर्मित क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर, प्रथम तल में निर्मित क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर, द्वितीय तल में निर्मित क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर तथा तृतीय तल में निर्मित क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर है, जिसके निर्माण का कुल क्षेत्रफल लगभग 669.12 वर्ग मीटर तक विस्तृत है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष नर्सिंग पाठ्यक्रम (बी0एस0सी0 नर्सिंग, बी0एस0सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक), जी0एन0एम0, एम0एस0सी0 नर्सिंग, अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रम) व पैरामेडिकल के लिये शैक्षिक कार्य का संचालन अपने इन्स्टीट्यूट से करेगा तथा उक्त पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक/आभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु प्रथम पक्ष के चिकित्सालय का उपयोग करेगा।

3. यह कि प्रथम पक्ष अपने चिकित्सालय को द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिये प्रशिक्षण हेतु 07 वर्षों के लिए उपलब्ध करायेगा जिसके प्रतिफल का प्रकार शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर पक्षकारों के मध्य तय पाया जायेगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व नर्सिंग कॉन्सिल आफ इण्डिया के अनुसार शैक्षिक कार्य करने के नोर्म्स को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 30 शैय्याएँ (बैड) क्षमताधारी है एवं 50 शैय्याओं (बैड) हेतु सी0एम0ओ0 देहरादून को आवेदन किया गया है। सी0एम0ओ0 देहरादून से अनुमति मिलने के पश्चात उक्त 50 शैय्याएँ (बैड) भी हमारे संस्थान को आवंटित किया जायेगा। वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।

5. यह कि उपरोक्त समयावधि 07 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि पक्षकार चाहें तो दोनों पक्षों की सहमति से संमयावधि आगे बढ़ाई जा सकती है।

6. यह कि प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष की सहमति से प्रथम पक्ष या द्वितीय पक्ष एक वर्ष पूर्व पत्र देकर यह सहमति पत्र समाप्त कर सकते हैं।

7. यह कि द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त चिकित्सालय का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया है और वह पूर्णतः सन्तुष्ट होकर वर्तमान विलेख अंकित व निष्पादित कर रहा है।

अतः यह स्मृति पत्र आज दिनांक 12/04/2022 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित कर दिया है ताकि साक्ष्य रहे और समय पर काम आवे।

ह0 प्रथम पक्ष..................................	ह0 द्वितीय पक्ष..................................
(श्रीमती मीनू)	(श्रीनिवास नौटियाल)
सी0ई0ओ0	अध्यक्ष
मार्क हैल्थ केयर,	श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड
56, नेशविल्ला रोड़, देहरादून	टैक्नोलॉजी, पौंधा, देहरादून।

गवाह—1	गवाह—2
(श्री कुलदीप सिंह)	(डॉ0 शिवानन्द पाटिल)
आधार नं0— 575736723765	आधार नं0— 717354337064
(निवासी— नालापानी रोड, छुग कोलोनी, देहरादून ऑफिस— चेम्बर नं0 27, ब्लॉक 2, 1st फ्लोर, नेयर एसोसिएशन हॉल, देहरादून)	(श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी पौंधा, देहरादून (उत्तराखण्ड)
हस्ताक्षर—	हस्ताक्षर—

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND
Rajender Singh Negi
Advocate
2002

ATTESTED

(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Chamber No. 92, 1st Floor
Opposite Bar Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

ROHINI | रोहिणी

Registry of Hospitals in Network of Insurance

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Rohini ID : 8900080489929

Certificate Valid Upto : 26 Oct 2024

This is to Certify that **MARC HEALTH CARE** located at **Neshvilla Road** is registered under Registry of Hospitals in Network of Insurance (ROHINI) maintained by Insurance Information Bureau of India (IIB) as per clause 1(a) (i) of chapter IV under Section-I of Master Circular on Standardization of Health Insurance Products (Ref No: IRDAI/HLT/REG/CIR/193/07/2020 dated 22nd July 2020).

This is a computer-generated Certificate hence no signature required